बिहार सरकार
कृषि विभाग

Mail/Fax पत्र संख्या–3/कृ०बजट आवंटन–24/2013–79 (आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 06-08-2013

प्रेषक,

रामजी सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, पटना/नालन्दा/भोजपुर/बक्सर/रोहतास/कैमूर (भभुआ)/गया/जहानाबाद/अरवल/नवादा/औरंगाबाद/सारण/सीवान/गोपालगंज/मुजफ्फरपुर/पूर्वी चम्पारण/पश्चिमी चम्पारण/सीतामढ़ी/शिवहर/वैशाली/दरभंगा/मधुबनी/समस्तीपुर/बेगूसराय/मुंगेर/लखीसराय/शेखपुरा/जमुई/भागलपुर/बांका/सहरसा/सुपौल/मधेपुरा/पूर्णियाँ/किशनगंज/अररिया/कटिहार/खगड़िया।

विषय : **खरीफ 2013 में अनावृष्टि के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति में वर्ष 2013–14 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु 769.0625 करोड़ रूपये तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 15.435 करोड़ रूपये, कुल 784.4975 करोड़ रूपये (सात अरब चौरासी करोड़ उनचास लाख पचहत्तर हजार रूपये) की लागत पर कायक्रम कार्यान्वयन तथा इसके अधीन सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु तत्काल 9000.00 लाख रूपये (नब्बे करोड़ रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप शेष राशि में से तत्काल व्यय हेतु कुल ₹31,95,00,000 (एकतीस करोड़ पंचानवे लाख रू०) मात्र की राशि का आवंटन ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक स्वीकृत्यादेश संख्या–3729 दिनांक–24.07.2013 के द्वारा खरीफ 2013 में अनावृष्टि के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति में वर्ष 2013–14 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु 769.0625 करोड़ रूपये तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 15.435 करोड़ रूपये, कुल 784.4975 करोड़ रूपये (सात अरब चौरासी करोड़ उनचास लाख पचहत्तर हजार रूपये) की लागत पर कायक्रम कार्यान्वयन तथा इसके अधीन सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु तत्काल 9000.00 लाख रूपये (नब्बे करोड़ रूपये) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। पूर्व में विभागीय पत्रांक–74 (आवंटन) दिनांक–26.08.2013 द्वारा ₹31,05,00,000 की राशि आवंटित की जा चुकी है। शेष राशि में से तत्काल व्यय हेतु **₹31,95,00,000 (एकतीस करोड़ पंचानवे लाख रू०) मात्र** संलग्न विवरणी के अनुसार राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त **₹31,95,00,000 (एकतीस करोड़ पंचानवे लाख रू० मात्र)** का व्यय बजटशीर्ष–2401–फसल कृषि कर्म–उप मुख्यशीर्ष–00–लघुशीर्ष–109–विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण–मांग सं०–1–उपशीर्ष–0103–बाढ़ सुखाड़ की आपातकालीन योजना–विपत्र कोड–P2401001090103, राज्य योजना स्कीम कोड–AGR-56 83, विषयशीर्ष–33 01–सब्सिडी में वित्तीय वर्ष, 2013–14 के लिए उपबंधित राशि 100.00 करोड़ रू० (एक अरब रू०) मात्र से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक–2561 वि0 (2) दिनांक–17.04.98 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्त्तो/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी0 भी0 नं0 के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन

(रामजी सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

D:\DOCUMENTS TILL NOW NEW\Documents\Prabhu dt-31.07.2013 .doc

ज्ञापांक 79 (आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 06-08-2013

प्रतिलिपि : विवरणी सहित महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विवरणी सहित संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

07/8/13

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक 79 (आवंटन) /कृ0, पटना, दिनांक 06-08-2013

प्रतिलिपि : वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/कृषि निदेशक/निदेशक, पी0 पी0 एम0, बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक, (योजना) कृषि विभाग बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/उप कृषि निदेशक, (प्रसार)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि विभाग/कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/उप कृषि निदेशक, (बीज) कृषि विभाग, बिहार, पटना/नोडल पदाधिकारी, आपदा प्रबंधन, कृषि विभाग-सह-उप कृषि निदेशक, (सांख्यिकी)/प्रशाखा पदाधिकारी योजना (सचिवालय/निदेशालय), कृषि विभाग, बिहार, पटना को विवरणी सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. विवरणी सहित उप कृषि निदेशक, (सूचना), बिहार, पटना/आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

07/8/13

सरकार के संयुक्त सचिव।